

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11/04/2022

क्रमांक 667/492/2022/38/1 :: प्रो. छाया बाघोलिकर, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर द्वारा सतत् सेवा अवधि 20 वर्ष से अधिक होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम-42 के उपनियम (1) (क) के अंतर्गत दिनांक 31.01.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रो. छाया बाघोलिकर, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य करते हुए महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
11.04.22  
( संघमित्रा गौतम )

उप सचिव


म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 11/04/2022

पृ.क्रमांक 668 /492/2022/38/1

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
  2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर,
  3. प्राचार्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर,
  4. प्रो. छाया बाघोलिकर, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप सचिव

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग